संख्या-1/ 2017/ 687/ 77-1-2017-02(बजट)/ 2015

प्रेषक,

इन्द्रसेन,

उपसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 24 मई, 2017

विषयः- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप) लखनऊ के कर्मियो के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 मे व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/ स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2017-बी-1-02/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक 02.01.2017 में जारी निर्देशो के अनुक्रम में लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ के कर्मियो के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि क्रमशः रू0 131.46 लाख (रू0 एक करोड़ इकतीस लाख छियालिस हजार मात्र) में से व्यय हेतु 54.77 लाख (रू0 चौवन लाख सतहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 7.74 लाख (रू0 सात लाख चौहत्तर हजार मात्र) में से रू0 3.22 लाख (रू0 तीन लाख बाईस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 57.99 लाख (रू0 सत्तावन लाख निन्यानवे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप लखनऊ द्वारा बिल बनाया

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगाः-

क्रमांक	मानक मद	प्रयोजन	बजट प्रावधान (रू0 लाख में)	लेखानुदान अवधि में निर्गत हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रख-रखाव संचालन आदि	7.74	3.22
2	सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	कार्मिकों के वेतनादि	131.46	54.77
	योग		139.20	57.99

2- इस संस्थान के कर्मियों के वेतन तथा रख-रखाव हेतु नियमानुसार तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-आयोजनेत्तर-60-अन्य-800-अन्य व्यय-18-इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग उ0प्र0 (इटप)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) तथा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(इन्द्रसेन)
उपसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

संख्या- 1/ 2017/ 687/ 77-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् औद्योगिक विकास अनुभाग-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायें।
6. महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ को इस अभ्यिुक्त के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु0-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रसेन)
उपसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in